



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012022-232657
CG-DL-E-15012022-232657

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 2022/पौष 24, 1943

No. 187]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 2022/PAUSHA 24, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2022

का.आ. 191(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 660 (ई) दिनांक: 27 सितंबर, 1996 तथा का. आ. 78 (ई) दिनांक: 04 फरवरी, 1999 द्वारा झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के बैरवा अड्डा से बराकर सेक्शन के 398.75 कि.मी. से 441.44 कि.मी. तथा उत्तर प्रदेश/ बिहार बोर्डर से बैरवा अड्डा सेक्शन के 46.00 कि.मी. से 398.750 कि.मी. तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा है;

अतः अब केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात “उक्त नियम” कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा का.आ. 1936 (ई) दिनांक: 22.08.2012 का अधिक्रमण करते हुए, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 (नया एनएच 19) के गोरहर से बैरवाड्डा सेक्शन के डिजाइन कि.मी. 320.810 से 401.332 कि.मी. (मौजूदा 320.810 कि.मी. से 400.132 कि.मी.) के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई 72.357 कि.मी. और 3.09 कि.मी. (जिनकी लंबाई 0.309 कि.मी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए

यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में दिए विनिर्दिष्ट दर से तथा बाईपास जिनकी निवल लंबाई 7.856 कि.मी. और लागत 10 करोड़ रु. या अधिक है, के लिए आधार दर के 150% की दर से सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर शुल्क की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरा वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई.) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरा वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरा वाले)	4.20

- नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात्:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
झारखंड राज्य के गिरिडिह जिले में कुल्गो गांव के निकट एनएच-2 (नया एनएच-19) के 352.100 डिजाइन किमी पर	72.357 कि.मी. (बाईसपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़कर)	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

- उपरोक्त के अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाजा(ओं) के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगा:—

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	शुरुआती स्थान	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लंबाई (60.0 मीटर से अधिक लंबाई वाली संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर)	लागत करोड़ रूपए में	

झारखंड राज्य के गिरिडिह जिले में कुल्गो गांव के निकट एनएच-2 (नया एनएच-19) के 352.100 डिजाइन किमी पर	एनएच-02/नया एनएच सं. 19 का बागोदर बाईपास	डिजाइन कि.मी. 331.800 (मौजूदा कि.मी. 331.900)	डिजाइन कि.मी. 336.756 (मौजूदा कि.मी. 336.154)	4.856	36.86 करोड़ रूपए	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 150%
	एनएच-2 (नया एनएच सं. 19) का राजगंज बाईपास	डिजाइन कि.मी. 389.800 (मौजूदा कि.मी. 389.800)	डिजाइन कि.मी. 392.800 (मौजूदा कि.मी. 392.300)	3.00	25.01 करोड़ रूपए	

- 3 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
झारखंड राज्य के गिरिडिह जिले में कुल्गो गांव के निकट एनएच-2 (नया एनएच-19) के 352.100 डिजाइन किमी पर	0.309 कि.मी.	3.09 कि.मी.	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 100%

विवरण निम्नानुसार है;

क्र.सं.	चैनेज		बुनियादी ढांचा का प्रकार	लम्बाई (कि.मी. में)
	कि.मी.से	कि.मी. तक		
1.	333.313	333.413	बड़ा पुल	0.100
2.	358.103	358.206	बड़ा पुल	0.103
3.	358.789	358.895	आरओबी	0.106
कुल				0.309

4. यह अधिसूचना परियोजना के पूरा होने के दिन से प्रभावी होगी।
5. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए मासिक पास की दर

285.00/- रूपए (दो सौ पचासी रूपए केवल) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

6. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

7. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
8. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
9. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
10. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।
11. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
12. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 3211.49 करोड़ रूपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/11015/5/पीडी/डीएचएन/786]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th January, 2022

S.O. 191(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 660(E) dated 27th September, 1996 and S.O.78(E) dated 4th February 1999 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the Barwa Adda to Barakar Section from Km 398.75 to Km 441.44 and Uttar Pradesh/Bihar Border to Barwa Adda Section from km 46.00 to km 398.750 of National Highway 2 in the state of Jharkhand to the National Highways Authority of India (here referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of notification bearing S.O. 1936(E) dated 22.08.2012, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at rates specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 72.357 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 3.09 Km (having length of 0.309 Km) and at 150% of the base rate for bypass having length of 7.856 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Gorhar to Barwaadda Section from design kilometer 320.810 to kilometer 401.332 (existing km 320.810 to km 400.132) of National Highway 2 (New NH 19) in the State of Jharkhand and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Can or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:—

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 352.100 of NH-2 (New NH-19) near Kulgo village in Giridih district of Jharkhand	72.357 km. (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures(>60m))	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza(s) :—

Table 3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (excluding length of structures having length more than 60.0 mtrs)	Cost in Crores.	
At Design Km 352.100 of NH-2 (New NH-19) near Kulgo village in Giridih district of Jharkhand.	Bagodar Bypass of NH - 02/New NH no.19	Design km 331.800 (existing Km331.900)	Design km 336.756(existingkm 336.154)	4.856	Rs. 36.86Cr.	150% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Rajganj Bypass of NH-2(New NH no.19)	Design km 389.800 (existing Km 389.800)	Design km 392.800 (existingkm 392.300)	3.00	Rs. 25.01 Cr.	

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza , by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:—

Table 4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable)
At Design Km 352.100 of NH-2(New NH-19) near Kulgo village in Giridih district of Jharkhand.	0.309 km.	3.09 km.	100% for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

The details are as under:—

Sl. No.	Chainage		Type of structure	Length (in Km)
	From Km.	To Km.		
1.	333.313	333.413	Major Bridge	0.100
3.	358.103	358.206	Major Bridge	0.103
3.	358.789	358.895	ROB	0.106
Total				0.309

4. This notification shall come into effect from the day of completion of the project.
5. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 285.00(Rupees Two Hundred Eighty Five only) for the year 2021-2022 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.
6. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Table 5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of Payment

7. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
8. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub- rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
9. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
10. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
11. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table- 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
12. The estimated capital cost of the project is Rupees 3211.49 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No NHAI/11015/5/PD/DHN/786]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.